तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी वकील बहस पर मनन किया। वादपत्र एवं संलग्न डाक्यूमेंट व तहसीलदार बड़ीकुई से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस वादी वकील पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बड़ीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 29.7.24

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्याः– 31 / 2024
प्रकरण दायर दिनांकः–04.03.2024
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 29.04.2024

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र श्री नाथूलाल जाति गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बॉंदीकुई तहसील बॉंदीकुई जिला दौसा
2. नगरपालिका मण्डल बॉंदीकुई जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल बांदीकुई
3. श्रीनारायण } पुत्रान नाथूलाल } जाति गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द तह. बॉंदीकुई
4. अरजन } जिला दौसा

दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी द्वारा दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश या कि ग्राम श्यालावास खुर्द तह. बसवा हाल तह. बॉंदीकुई में भूमि खसरा नं. 568 लगायत 577 जिसके भूप्रबंधक से पूर्व साबिक नम्बर 287 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा रही है। जिसके तत्कालीन तेदार वादी व प्रतिवादीगण सं. 3 व 4 एवं आनंदी बेवा रेवड व भौरी बेवा रामकिशन रहे हैं जिसमें रा नं. 568 व 571 की भूमि पर बहामी बंटवारा अनुसार वादी काबिज है जो भूमि वर्तमान में रपालिका क्षेत्र में होने से प्रतिवादी सं. 02 नगरपालिका मण्डल बांदीकुई के नाम नामान्तकरण खुल है। भूमि खसरा नं. 568 व 571 वादी के कब्जे व स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि की वर्तमान दारी नगरपालिका मण्डल बॉंदीकुई के नाम होने से वादी द्वारा अपने कब्जे व स्वामित्व वाली भूमि सरा नं. 568 व 571 में पट्टा बनवाने हेतु नगरपालिका मण्डल बॉंदीकुई के समक्ष आवेदन प्रस्तुत ने पर नगरपालिका मण्डल बॉंदीकुई द्वारा वादी के पट्टे की कार्यवाही हेतु मौका रिपोर्ट तलब ने पर हल्का पटवारी एवं गिरदावर श्यालावास खुर्द द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया के खसरा नं. 568 का जमाबन्दी में रकबा 0.01 हैक्ट. है एवं उसका रकबा बरारी करने पर नक्शा ट में उक्त रकबा लगभग 1.12 हैक्ट. बैठता है। जिस पर वादी द्वारा हलका पटवारी से संपर्क करने र हलका पटवारी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की रकबा बरारी करने पर बताया कि खसरा नं. 571 का जमाबन्दी में रकबा 0.22 हैक्ट. वर्तमान नक्शा शीट में रकबा लगभग 0.11 हैक्ट. है तथा सी अनुसार वादी का कब्जा व स्वामित्व है किन्तु जमाबन्दी में 0.11 हैक्ट. रकबा खसरा सं. 568 का रकबा 0.01 हैक्ट. है। जो लगभग 0.11 हैक्ट. रकबा वर्तमान खसरा सं. 568 में कम हो रहा है। जिसका नक्शा शीट में रकबा 0.12 हैक्ट. है। जो सही है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भू–प्रबन्धक की

०५६ —

3

31-1 ...

कार्यवाही में बिना किसी अधिकार के खसरा नं. 571 रकबा 0.11 हैक्ट. को जमाबन्दी में लगभग 0.22 हैक्ट. रकबा कर दिया है एवं खसरा नं. 568 का रकबा 0.11 हैक्ट. के स्थान पर जमाबन्दी में रकबा 0.01 हैक्ट. का कर दिया, जो मौका व नक्शाशीट से भिन्न इन्द्राज कर दिया। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 568 जिसका जमाबन्दी में गलत रकबा 0.01 हैक्ट. है एवं नक्शाशीट में रकबा 0.12 हैक्ट. एवं खसरा नं. 571 का रकबा जमाबन्दी में 0.22 हैक्ट. एवं नक्शाशीट में रकबा 0.11 हैक्ट. है उसे जमाबन्दी में मुताबिक नक्शाशीट दुरूस्त फरमाया जाकर जमाबन्दी के खसरा नं. 571 रकबा 0.22 में से रकबा 0.11 हैक्ट. कम कर खसरा नं. 568 में रकबा 0.11 हैक्ट. जोडा जाकर मुताबिक नक्शा मौका वास्तविक व सही रकबा खसरा नं. 571 का रकबा 0.11 हैक्ट. एवं खसरा नं. 568 का रकबा 0.12 हैक्ट. किया जाकर जमाबन्दी में उसी अनुसार दुरूस्ती की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण सं. 2, 3 व 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र क्रमांकः 1727 दिनांकः 02.05.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी वकील बहस सुनी गई। वादी वकील द्वारा बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वादी वकील बहस पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एव संलग्न दस्तावेजात व प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम श्यालावाखुर्द के आराजी खसरा नं. 568 रकबा 0.01 हैक्ट. किस्म चाही 1 व खसरा नं. 571 रकबा 0.22 हैक्ट. किस्म चाही 1 हाल जमाबन्दी के खाता सं. 157 में नगरपालिका बॉदीकुई हिस्सा पूर्ण (संस्था के लिए) दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नं. 568 व 571 मुताबिक नकल मिलान क्षेत्रफल के साबिक खसरा नं. 287 से बने हैं। मुताबिक गत जमाबन्दी संवत 2036–39 के उक्त ख. नं. 568 व 571 श्रीनारायण, रामस्वरूप, अर्जुन पि. नाथ्या हि. ब. हि. 1/3 मु. आनन्दी बेवा रेवड हि. 1/3 मु. भौरी बेवा रामकिशन हि. 1/3 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी भूमि रही है। मुताबिक नक्शा शीट के खसरा नं. 568 का रकबा, रकबा बरारी से 0.12 हैक्ट. है जो जमाबंदी में दर्ज रकबे 0.01 हैक्ट. की तुलना में अधिक है। जबकि खसरा नं. 571 का रकबा नक्शाशीट के रकबे की तुलना में जमाबंदी का रकबा अधिक है। अतः नक्शाशीट व जमाबंदी के रकबे की एकरूपता हेतु खसरा नंबर 571 का जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.22 हैक्ट. में से 0.11 हैक्ट. कम कर खसरा नं. 568 का रकबा 0.01 हैक्ट. में मिलाकर कुल 0.12 हैक्ट. किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम श्यालावास खुर्द खाता सं. नया 157 पुराना 2 के खसरा नं. 568 व 571 नगरपालिका बॉदीकुई के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। जो के साबिक खसरा नं. 287 से बने हैं। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट में नक्शाशीट व जमाबंदी के रकबे की एकरूपता हेतु खसरा नंबर 571 का जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.22 हैक्ट. में से 0.11 हैक्ट. कम कर खसरा नं. 568 का रकबा 0.01 हैक्ट. में मिलाकर कुल 0.12 हैक्ट. किया जाना उचित बताया है। अतः प्राप्त जॉच रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन से उक्त खसरा नंबरान 568 व 571 के जमाबंदी में दर्ज रकबे में सहवन से त्रुटि कारित होना प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन से वादी वाद स्वीकार किया किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात व तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर वादी वाद दावा उद्घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बॉदीकुई को

aw3—

आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्यालावास खुर्द तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 571 का जमाबंदी में दर्ज रकबा 0.22 हैक्ट. में से रकबा 0.11 हैक्ट. कम कर खसरा नं. 568 में रकबा 0.11 हैक्ट. जोडा जाकर, जमाबन्दी में मुताबिक नक्शाशीट दुरूस्त कर वास्तविक व सही रकबा खसरा नं. 571 का रकबा 0.11 हैक्ट. एवं खसरा नं. 568 का रकबा 0.12 हैक्ट. किया जाकर विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

29.7.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner